स्टेट बैंक आफ इन्दौर चांदनी चौक द्वारा आदेशों का पालन न किया जाना

2429. **श्री राम नरेश यादव** :—क्या श्रम मंत्री 6 मई, 1988 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1148 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इंदौर के कुछ कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश के जारी होने से पहले ही केन्द्रीय सहायक श्रम आयुक्त ने 4 जून, 1985 को यथापूर्व स्थिति आदेश जारी किये थे,

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त आदेशों का पालन न करने के क्या कारण थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि 10 जून, 1985 के आदेशों में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि चूंकि कर्मचारी काम पर तैनात थे; अतः उन्हें स्थानान्तरण आदेश नहीं दिए गए थे, यदि हां, तो संबंधित बैंक अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी थी, और

(घ) क्या इस मामले में नए सिरे से कार्यवाही की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) सहायक श्रम आयुक्त (के०) दिल्ली द्वारा दिनांक 4 जून, 1985 को जारी सूचना एक नोटिस था जो श्री सी. एल. वर्मा मुख्य लिपिक को चांदनी चौक शाखा, दिल्ली से राजगढ़ शाखा, मध्य प्रदेश स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में स्टेट बैंक आफ इंदौर के कर्मचारी संघ द्वारा उठाये गये औद्योगिक विवाद से संबंधित संराधन प्रक्रिया में भाग लेने के लिये जारी किया गया था और उस नोटिस के माध्यम से प्रबंधन को यह सलाह दी गयी थी कि वे संराधन प्रक्रिया चलने तक यथास्थिति बनाये रखें।

(ख) से (घ) : औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत सहायक श्रम आयुक्त (के.) को यथास्थिति बनाये रखने के संबंध में किसी भी प्रकार के आदेश जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया है। सहायक श्रम आयुक्त (के.) द्वारा 4-6-1985 और 10-6-1985 को जारी विज्ञप्ति परामर्श संबंधी प्रकृति की थी। दिनांक 6 मई, 1987 को स्टेट बैंक आफ इंदौर के कर्मचारी संघ तथा स्टेट बैंक आफ इंदौर के प्रबंधन के बीच समझौता हो जाने के फलस्वरूप संराकेन प्रक्रिया समाप्त हो गयी। अतः इस मामले में आगे कोई कार्यवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

2430. *(Transferred to 23rd December, 1993)*

दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत चल रहे औद्योगिक न्यायाधिकरणों में लंबित वादों का ब्यौरा

2431. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :—

(क) दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत औद्योगिक न्यायिकरणों में लंबित उन विवादों का ब्यौरा क्या है जिन पर 30 नवम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार बहस पूरी हो गयी है और पंचाटों की प्रतीक्षा है;

(ख) इन विवादों पर पंचाटों के कब तक दिये जाने की संभावना है, और

(ग) पंचाट देने के लिए समय सीमा के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से उपलब्ध सूचना के अनुसार 3-11-1993 तक दिल्ली के 3 औद्योगिक अधिकरणों में 32 औद्योगिक विवाद जिनमें बहस पूरी हो चुकी है लम्बित थे, 16-12-1993 को स्थिति के अनुसार इन 32 मामलों में से 29 औद्योगिक विवादों में समुचित सरकार को पंचाट प्रस्तुत कर दिये गये है और शेष 3 विवादों में शीघ्र ही पंचाट घोषित किये जाने की संभावना है।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में बहस पूरी हो जाने के पश्चात् पंचाट घोषित किये जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है । तथापि, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(2-क) के अनुसार जहां औद्योगिक विवाद किसी एक कर्मकार से संबंधित है वहां श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण द्वारा 3 महीने की अवधि के भीतर पंचाट प्रस्तुत किया जाना होता है । औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय नियम 1957 के नियम 10 ख (10) में यह निर्धारित किया गया है कि श्रम न्यायालयों / औद्योगिक अधिकरणों द्वारा मामले पर मौखिक सुनवाई बहस की तारीख से एक महीने के भीतर अथवा संदर्भ आदेश में उल्लिखित अवधि, जो भी पहले हो, के भीतर पंचाट सरकार को प्रस्तुत किया जाना होता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने पंचाट दिये जाने के लिए समय सीमा निर्धारित करने हेतु अलग से कोई नीति नहीं बनाई है।

REPORT ON THE CONCILIATION ACCOUNTS OF ITDC

2432. SHRI GHUFRAN AZAM : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government have received reports on the conciliation accords reached between labour and management of ITDC hotel authorities in regard to termination of 70 employees by Hotel Samrat;

(b) whether Government have initiated further action in the matter to restore employment; and

(c) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OP HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR) : (a) to (c) The information is being collscted and will be laid or the Table of the House.

RELEASE OF ADVANCE AGAINST PF DUES

2433. PROF. SAURIN BHATTA CHARYA : Will the Minister of LABOUR be pleased to state ;

(a) whether the Regional Provident Fund Ctommissioner, Bombay has not yet released advance against Provident Fund dues of some employees of Multinational "Companies;

(b) wheher repeated representations have been failing to achieve results; and

(c) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

CONVERSION OF THE EMPLOYEES P.F. INTO PENSION SCHEME

2434. SHRI AJIT P. K. JOGI : Will ;he Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government propose to convert the Employees Provident Fund into a pension scheme;

(b) if so, the details thereof ?

(c) whether the State Governments have been consulted in this regard;

(d) if so, the reaction of the State Governments thereto;

(e) the stage at which the proposal sands at persent ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR) : (a) and (b) The Gov-ment has decided to introduce a Pension Scheme for the EPF subscribers. For this purpose, it has also been decided to create a Pension Fund by diverting 8.33 percent of the existing contribution from the em-